Shri Gorakshnath Medical College Hospital & Research Center

MBBS Admission 2025-26

MBBS Admission Helpline Number: 9838890123, 7985810209

Fee Submission:

Tuition Fee (Rs. 1414159/-): Through Demand Draft in favor of Director General of Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow will deposit at Nodal Centre (Baba Raghav Das Medical College, Gorakhpur).

Security Money (Rs. 300000/-): Security money will be deposit through demand draft or Net banking at Campus.

Account Payee Name: Shri Gorakshnath Medical College Hospital & Research Centre

Account No.: 901002010000816

IFSC: UBIN0590100

Payble at Union Bank of India, Mahayogi Gorakhnath University Branch

Hostel Fee: Hostel fee will be payable through net banking or demand draft at campus

For Girl's:

Non-AC Double/Triple Occupancy/Bed: Rs. 65000/- per year

Non-AC Single Occupancy/Bed: Rs. 105000/- per year

With AC Double Occupancy/Bed: Rs. 105000/- per year

With AC Single Occupancy/Bed: Rs. 155000/- per year

Account Details for Girl's Hostel:

Account Name: Maa Pateshwari Chhatravaas Mess

Account Number: 0666000100474653

IFSC: PUNB0066600

For Boy's:

Non-AC Double Occupancy/Bed: Rs. 75000/- per year

Non-AC Single Occupancy/Bed: Rs. 105000/- per year

With AC Double Occupancy/Bed: Rs. 125000/- per year

With AC Single Occupancy/Bed: Rs. 155000/- per year

Account Details for Boy's Hostel:

Account Name: Guru Gorakshnath Institute of Medical Sciences Boys Hostel

Account Number: 0666000100480371

IFSC: PUNB0066600

Miscellaneous + Examination Fee: Miscellaneous + Examination fee (Rs. 94160/-) will be payable at the time of examination form at campus

Note: There is no bond from college side.

अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी, समस्त राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेज, उ0प्र0	**कुलसचिव / नोडल अधिकारी,** के0जी0एम0यू0,लखनऊ / उ0प्र0आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
निदेशक / नोडल अधिकारी डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ / राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।	**नोडल अधिकारी** बरेली इण्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली / तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।

संख्याः एम0ई0–3 / 2025 /

लखनऊःदिनांकः 14 अगस्त, 2025

विषयः यू0पी0 नीट यू0जी0–2025 के अन्तर्गत प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि यू0पी0 नीट यू0जी0–2025 के प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से राजकीय / स्वशासी / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 पाठ्यकमों की सीटों के सापेक्ष आवंटित छात्रों की प्रवेश प्रकिया **दिनांक 18.08.2025 से दिनांक 23.08.2025 तथा दिनांक 25.08.2025 से दिनांक 26.08.2025** के मध्य पूर्ण किया जाना है। यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 के संबंध में शासन द्वारा निर्गत नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्याः। / 995234 / 2025 दिनांक 16.06.2025 एवं नीट यू0जी0 2025 का ब्रोसर विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in एवं https://upneet.gov.in पर उपलब्ध है, जिसमें निहित व्यवस्थाओं के आलोक में निम्नांकित दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी:–

1. राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित राजकीय / स्वशासी मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्ण की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेन्टल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर पूर्ण की जायेगी।
3. आवंटित अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये मूल शैक्षणिक / आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण–पत्रों के परीक्षणोपरान्त प्रवेश प्रकिया सम्पन्न की जायेगी एवं मूल अभिलेख भी जमा कराये जायेगें।
5. प्रवेशित अभ्यर्थियों के जमा शैक्षणिक मूल अभिलेख समस्त चक की काउन्सिलिंग समाप्त होने तक संबंधित नोडल सेन्टर पर सुरक्षित रखे जायेंगे तथा इनकी काउन्सिलिंगवार / संस्थावार सूची तैयार कर संबंधित मेडिकल / डेण्टल कालेजों को उपलब्ध कराये जायेगें। प्रवेशित अभ्यर्थी के मूल प्रमाण–पत्र किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं किये जायेगें।
6. ***निजी क्षेत्र के कालेजों के लिए आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, (Director General, Medical Education & Training, U.P. payble at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा। यदि निजी क्षेत्र के कालेजों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम लिया जाता है, तो उसके लिए वह स्वतंत्र है।***
7. शैक्षणिक सत्र 2025–26 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों के फी–स्ट्रक्चर विभागीय वेबसाइट https:upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है।

8. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेज मे प्रवेश हेतु अभ्यर्थियो से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क संबंधी बैंक ड्राफ्ट के डाटा संकलन/डैशबोर्ड तैयार किये जाने हेतु आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक के प्रतिनिधियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं डी0डी0 नोडल अधिकारी की अभिरक्षा में नोडल सेण्टर पर सुरक्षित रखें जायेगें।
9. मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर आवंटन प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी का मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रूप से कराये जाने के उपरान्त ही प्रवेश प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
10. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)** तथा **अन्य पिछडा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों का प्रवेश के समय प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल 2025 अथवा इसके पश्चात् का बना हो, मान्य होगा।**
11. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नही होगा।
12. **प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियो की सूचना प्रतिदिन एन0आई0सी0 के पोर्टल पर Update किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित नोडल अधिकारी का होगा।**
13. **यदि किसी आवंटित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आवंटन–पत्र, जो एक प्रमाणिक अभिलेख है, प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसे प्रवेश के समय पंजीकरण रसीद/अभिलेखो के सत्यापन रसीद/सिक्योरिटी धनराशि रसीद के अभाव में प्रवेश से वंचित न किया जाये।**
14. **निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी का प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम धनराशि पर देना चाहते है, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल/डेण्टल कालेज के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से कम फीस पर प्रवेश दिये जाने का अण्डरटेंकिग/सहमति पत्र प्राप्त करते हुये प्रवेश प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।**
15. यू0पी0 नीट यू0जी0 2025 के अन्तर्गत प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थियों का त्याग–पत्र शासनादेश दिनांक 16 जून, 2025 में निहित व्यवस्था के अर्न्तगत ही स्वीकार्य होगा। इस हेतु प्रवेशित अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर त्याग–पत्र दिये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
16. राजकीय मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग–पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुये एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगें। केवल पोर्टल पर अपडेट किये गये त्याग–पत्र ही मान्य होगें। अन्यथा की स्थिति मे समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलसचिव/नोडल अधिकारी का होगा।
17. नोडल सेन्टर पर प्रवेश लेने वाले उपस्थित अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों के बैठने एवं पीने योग्य पानी की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं/शासनादेश/ब्रोशर मे दी गयी व्यवस्थाओं के आधार पर प्रवेश प्रकिया सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर निदेशक

संख्याःएम0ई0–3/2025/1884 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
2. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेन्टल कालेज, उ0प्र0।

(आलोक कुमार)
अपर निदेशक